



Nivesh Mitra

Single Window Portal ,Govt. of Uttar Pradesh



Uttar Pradesh Fire Service

प्रारूप-घ (संलग्नक-3)

औपबन्धिक (प्रोविजनल) अनापत्ति प्रमाणपत्र

यूआईडी संख्या: UPFS/2025/155182/GBN/GAUTAM BUDDH NAGAR/32499/JD

दिनांक: 27-04-2025

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स **GODREJ PROPERTIES LIMITED** (भवन/प्रतिष्ठान का नाम) पता **PLOT NO 207, SECTOR SIGMA -03, GREATER NOIDA** तहसील - **SADAR** प्लॉट एरिया **38771.00 sq.mt** (वर्गमीटर), कुल कवर्ड एरिया **242107.00** (वर्गमीटर), ब्लॉकों की संख्या **11** जिसमें

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लॉक में तलों की संख्या	बेसमेंट की संख्या	ऊँचाई
TOWER 1	24	1	73.65 mt.
TOWER 2	24	1	73.65 mt.
TOWER 3	24	1	73.65 mt.
TOWER 4	36	1	109.05 mt.
TOWER 5	25	1	76.60 mt.
TOWER 6	25	1	76.60 mt.
TOWER 7	25	1	76.60 mt.
TOWER 8	34	1	103.150 mt.
TOWER 9	34	1	103.15 mt.
COMMUNITY CENTER	3	1	18.50 mt.
COMMERCIAL	1	1	05.85 mt.

है। भवन का अधिभोग मैसर्स **GODREJ PROPERTIES LIMITED** द्वारा किया जायेगा। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं का प्राविधान एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार किया गया है। इस भवन को औपबन्धिक अनापत्ति प्रमाणपत्र, एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी **Residential** के अन्तर्गत इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि प्रस्तावित भवन में अधिभोग श्रेणी के अनुसार सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं के मानकों का अनुपालन पूर्ण रूप से किया जायेगा तथा भवन के निर्माण के पश्चात भवन के अधिभोग से पूर्व अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा। ऐसा न करने पर निर्गत प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मैसर्स **GODREJ PROPERTIES LIMITED** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होंगे।

Note : अग्निशमन अधिकारी /मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा प्रेषित स्थलीय भौतिक निरीक्षण संस्तुति आख्या व अपलोडिड मानचित्रों के अनुसार सम्बन्धित सक्षम सत्ता प्राधिकारी को यह प्रोवीजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त के साथ निर्गत किया जाता है कि उपरोक्त भवन के अध्यासन/ प्रयोग से पूर्व समस्त अग्निशमन व्यवस्थाएं उ0प्र0 अग्निशमन तथा आपात सेवा अधिनियम-2022 तद्वधीन नियमावली-2024 NBC-2016 के अनुसार अधिष्ठापित कराया जाना अनिवार्य है, यदि भवन स्वामी द्वारा बिना व्यवस्थाओं के अध्यासन किया जाता है, तो भवन के असुरक्षित अध्यासन हेतु सत्ता प्राधिकारी निगरानी रखे।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों , सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है | इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा | यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के

स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है |"

निर्गत किये जाने का दिनांक : **30-04-2025**स्थान : **LUCKNOW**

हस्ताक्षर (निर्गमन अधिकारी)

Digitally Signed By
(Aman Sharma)

[A0269865B740788D0DE1F7D7C6707A357F263D40]

30-04-2025

[Terms](#)

Web Query Helpline

+91-9918976188 (श्यामू कनौजिया)

"यदि अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने में कोई समस्या आ रही हो और जनपद स्तर पर उसका समुचित समाधान न हो पा रहा हो तो निम्नलिखित व्हाट्सएप्प नम्बर पर सम्पूर्ण विवरण प्रेषित करें।"

 +91-7839861680

महानिदेशक, अग्निशमन तथा आपात सेवा, उ०प्र० लखनऊ

Fire Emergency Helpline



Best viewed with Internet Explorer & 1024 x 768 resolution

Developed by National Informatics Center Uttar Pradesh State Unit. Content Provided & maintained by the Department of Uttar Pradesh Fire and Emergency Services, Government Of Uttar Pradesh.

Uttar Pradesh Fire and Emergency Services(HQRS)

Tower 4, 1st & 2nd Floor
Signature Building (Police Headquarter)
Opposite Ekana Stadium Shaheed Path
Lucknow, Uttar Pradesh 226010.
Tel: 9454418326 / 0522-2390469
Fax: 0522-2390465
E-Mail: fshq[at]nic[dot]in


